Dr R.K.Sunoval Folder General Election Lovie 2017.Doc

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः-प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट   जयपुर, दिनांकः 7.12.2020

-: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 11 जिलों (अलवर, बारा ,धौलपुर ,दौसा,श्रीगंगानगर, जयपुर जोधपुर ,कोटा ,सवाईमाधोपुर, करौली,सिरोही)के 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव नवम्बर – दिसम्बर, 2020 (संलग्न सूची अनुसार) से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। मतदान दिनाक 11.12.2020 को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग-7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सम्बन्धित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी),मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 9610 दिनांक 10.11.2020 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल,अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. संम्भागीय आयुक्त, (बीकानेर, जयपुर जोधपुर ,कोटा ,भरतपुर, उदयपुर)
16. जिला कलक्टर, अलवर, बारा ,धौलपुर ,दौसा,श्रीगंगानगर, जयपुर जोधपुर ,कोटा ,सवाईमाधोपुर, करौली,सिरोही।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव,सामानय प्रशासन (ग्रुप-1,3,4,5,6)विभाग /सम्पदा विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली

7/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 7.12.2020

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 11 जिलों (अलवर, बांरा ,धौलपुर ,दौसा,श्रीगंगानगर, जयपुर जोधपुर ,कोटा ,सवाईमाधोपुर, करौली,सिरोही) के 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव नवम्बर – दिसम्बर, 2020 (प्रति संलग्न है) दिनांक11.12.2020 (शुक्रवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी),मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. उप सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 9612 दिनांक 10.11. 2020 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक राजस्व मण्डल,अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. संम्भागीय आयुक्त, (,बीकानेर, जयपुर जोधपुर ,कोटा ,भरतपुर, उदयपुर)
16. जिला कलक्टर, अलवर, बारा ,धौलपुर ,दौसा,श्रीगंगानगर, जयपुर जोधपुर ,कोटा ,सवाईमाधोपुर, करौली,सिरोही)
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव,सामानय प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग /सम्पदा विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली

7/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

265

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, किसान भवन, सचिवालय, जयपुर 302005)
email: secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2020 / Part III/ 9612 दिनांक: 10/11/2020

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :— 42 नगर निकायों के आम चुनाव नवम्बर–दिसम्बर, 2020 — मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 23.11.2020 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 11.12.2020 को होगा। जिलवार नगर निकायों की सूची एवं आम चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 11.12.2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करवावें। यदि कहीं किसी कारण से पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो पुनर्मतदान के दिवस भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न : चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांक: एफ.4(1)(1) / नपा / रानिआ / 2020 / Part III/ 9613 दिनांक: 10/11/2020

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर, बारां, धौलपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली एवं सिरोही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

26

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

42 नगर निकायों के आम चुनाव माह नवम्बर–दिसम्बर, 2020

चुनाव कार्यक्रम

➢ सदस्य पद के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	23.11.2020 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	27.11.2020 (शुक्रवार) प्रत्येक दिन प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	01.12.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	03.12.2020 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	04.12.2020 (शुक्रवार)
6.	मतदान की तिथि	11.12.2020 (शुक्रवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	13.12.2020 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	14.12.2020 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.12.2020 (मंगलवार) प्रत्येक दिन प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	16.12.2020 (बुधवार) प्रातः 10.30 से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	17.12.2020 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	17.12.2020 (गुरूवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	20.12.2020 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	20.12.2020 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ उपाध्यक्ष के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	21.12.2020 (सोमवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय-सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

[signature] 9.11.2020

25

DOCUMENT
Dated 07.11.2020

परिशिष्ट –A

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

42 नगरीय निकायों की सूची जिनमें आम चुनाव होने हैं

क.सं.	नाम जिला	क. सं.	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या
1	2	3	4	5
1.	अलवर	1	न.पा. राजगढ़	35
		2	न.पा. खेड़ली	25
		3	न.पा. तिजारा	25
		4	न.पा. खैरथल	35
		5	न.पा. बहरोड़	35
		6	न.पा. किशनगढ़बास	25
2.	बारां	7	नगरपरिषद बारां	60
		8	न.पा. अन्ता	35
3.	धौलपुर	9	नगरपरिषद धौलपुर	60
		10	न.पा. बाड़ी	45
		11	न.पा. राजाखेड़ा	35
4.	दौसा	12	नगरपरिषद दौसा	55
		13	न.पा. बादीकुई	40
		14	न.पा. लालसोट	35
5.	श्रीगंगानगर	15	न.पा. रायसिंहनगर	35
		16	न.पा. गजसिंहपुर	20
		17	न.पा. केसरीसिंहपुर	20
		18	न.पा. श्रीकरणपुर	25
		19	न.पा. अनूपगढ़	35
		20	न.पा. श्रीविजयनगर	25
		21	न.पा. सादुलशहर	25
		22	न.पा. पदमपुर	25
6	जयपुर	23	न.पा. चौमूं	45
		24	न.पा. सांभर	25
		25	न.पा. चाकसू	35
		26	न.पा. कोटपूतली	40
		27	न.पा. फुलेरा	25
		28	न.पा. शाहपुरा	35
		29	न.पा. विराटनगर	25
		30	न.पा. जोबनेर	20
		31	न.पा. बगरू	35
		32	न.पा. किशनगढ़–रेनवाल	35

7

DOCUMENT
Dated 07.11.2020

7.	जोधपुर	33	न.पा. पिपाडसिटी	35
		34	न.पा. बिलाड़ा	35
8.	कोटा	35	न.पा. रामगंजमण्डी	40
		36	न.पा. ईटावा	35
9.	सवाईमाधोपुर	37	नगरपरिषद सवाईमाधोपुर	60
		38	नगरपरिषद गंगापुरसिटी	60
10.	करौली	39	नगरपरिषद हिण्डौन	60
		40	नगरपरिषद करौली	55
		41	न.पा. टोडाभीम	25
11.	सिरोही	42	न.पा. आबूरोड	40
कुल योग				**1520**

7.11.2020

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141 2227280, 2227072

क्रमांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/Part III/1610 दिनांक 10/11/2020

आवक विभाग 69857 12-11-2020

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव नवम्बर-दिसम्बर, 2020 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 23.11.2020 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 11.12.2020 को होगा। जिलेवार नगर निकायों की सूची एवं आम चुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्नः- 1. चुनाव कार्यक्रम
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

प्रशासन II
12/11

आज्ञा से,
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/Part III/1611 दिनांक 10/11/2020

- प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर, बारां, धौलपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली एवं सिरोही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव